भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1259
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि

1259. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) , स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) और अन्य योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने और मजदूरी में प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई विशेष रोजगार गारंटी योजना शुरू की है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): भारत सरकार सतत प्रयासों और सुदृढ़ नीति कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं सहित ग्रामीण समुदायों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-2025 (बजट अनुमान) के लिए योजनावार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान **अनुबंध** में दिए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत , जिसे पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाए रखने और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत आवंटित केंद्रीय अंश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	आवंटन (रूपए करोड़ में)
2022-23	5000.0
2023-24	7000.0
2024-25	7192.0

महिलाओं के कल्याण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 में यह अपेक्षा की गई है कि महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी वे महिलाएं हों जिन्होंने पंजीकरण कराया है और काम के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, व्यक्तिगत कार्य के मामले में, महिला मुखिया वाले ग्रामीण परिवार की श्रेणी उन श्रेणियों में से एक हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (29.11.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल प्रतिशत में से महिला श्रम दिवसों का प्रतिशत) नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
महिलाओं की भागीदारी दर (%)	54.82	57.47	58.9	57.75

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को 50 दिनों के अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) के प्रावधान का अधिदेश देता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो। इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधियों से अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत अवधि के अलावा अतिरिक्त दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

मजदूरी दर में वृद्धि के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभाथयों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर विर्निदष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मंहगाई से राहत देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर संशोधित करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 के संबंध में मजदूरी दर में समग्र % वृद्धि लगभग 7% है।

(ग): जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंध है , यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) कार्यान्वित कर रहा है जो एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार , जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना निर्धारित किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 29.11.2024 तक) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लाभार्थियों के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	सृजित श्रम दिवसों का प्रतिशत	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2021-22	19.17%	18.33%
2022-23	19.55%	18.02%
2023-24	19.18%	17.62%
2024-25 (29.11.24 की स्थिति के अनुसार)	19.08%	17.81%

(नरेगासाफ्ट के अनुसार)

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-2025 के लिए योजनावार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2022-23		वार्षिक योजना 2023-24		वार्षिक योजना 2024-25
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	6	7	9
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	73000	90955.77	60000	86000	86000
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आजीविका	13336.42	11776.01	14129.17	14129.17	15047
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	20000	48422	54487	32000.01	54500.14
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000	17000	19000
5	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9652.31	9652	9636.32	9652	9652
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन*	550	988.91	0	0	0

*वित्त वर्ष 2023-24 से इस योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।

*****